T.N.C.P. Layout

कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला भोपाल, मध्यप्रदेश

ई–5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी,भोपाल

क्रमांक /एल.पी.109/29/नग्रानि/जिका/2011 भोपाल,दिनांक /2012

प्रति,

आयुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी,
कालोनी सेल, एकल खिड़की प्रणाली,
नगर पालिक निगम, भोपाल ।

विषय :– ग्राम दामखेड़ा तहसील हूजूर जिला भोपाल स्थित जमीन के खसरा क्रमांक– 213/1/4, 213/1/11, 213/1/6, 213/1/8, 213/1/5, 212/1, 213/1/7 कुल रकबा 0.931 हेक्टेयर पर आवासीय भूखण्डीय विकास हेतु अभिन्यास अनुमोदन ।

सन्दर्भ :– प्रभारी कालोनी प्रकोष्ठ, नगर पालिक निगम, भोपाल के पत्र क्रमांक–2644/का.प्रको./2012 भोपाल, दिनांक–17.9.2012

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भ मे ग्राम दामखेड़ा तहसील हूजूर जिला भोपाल स्थित जमीन के खसरा क्रमांक– 213/1/4, 213/1/11, 213/1/6, 213/1/8, 213/1/5, 212/1, 213/1/7 कुल रकबा 0.931 हेक्टेयर जिसका भूमि उपयोग भोपाल विकास योजना 2005 में आवासीय निर्दिष्ट है, पर संदर्भित पत्र के साथ प्राप्त ऋषि कंस्ट्रक्शंन द्वारा श्रीमती विनीता भार्गव, निवासी– 9 बी इन्द्रपुरी, भोपाल भूमि स्वामी श्री दयाराम पुत्र श्री जटाल सिंह, अनिता पुत्री श्री रमेश, श्रीमती घीसीबाई पत्नी श्री जटाल सिंह, को भूखण्डीय आवासीय विकास हेतु भोपाल विकास योजना, 2005 एवं मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 30 (1) (ख) एवं मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 27(1) प्रावधानों अनुसार विकास की अनुज्ञा के अधीन निम्न शर्तों के आधार पर प्रदान की जा रही है :–

(1) निम्न लिखित अधिनियम/नियम/सक्षम अधिकारियों तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा :–

1. मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता,1959
2. लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग ।
3. भोपाल विकास प्राधिकरण,भोपाल
4. भू अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर ,जिला भोपाल
5. नजूल अधिकारी, राजधानी परियोजना, भोपाल
6. मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल.
7. राष्ट्रीय राजमार्ग/राजकीय राजमार्ग प्राधिकारी (राष्ट्रीय राजमार्ग/राजकीय राजमार्ग से लगी भूमि के विकास की स्थिति में).
8. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी अधिनियम के अन्तर्गत या कोई अनुमति व अनापत्ति की आवश्यकता हो तो वह अनिवार्य रूप से प्राप्त करें ।

(2) **मध्य प्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ–3–7/2009/32 भोपाल, दिनांक 5.1.12.2011 के अनुसार डिफेन्स सेटेलाइट कन्ट्रोल सेन्टर के नियंत्रित क्षेत्र में जी+1 से अधिक ऊँचाई का निर्माण मान्य नहीं होगा ।**

(3) आवासीय भूखण्डों पर विकास योजना 2005 की सारणी क्रमांक–4–सा–2 के प्रावधान मान्य होंगे ।

(4) इस विकास अनुज्ञा के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु भूमि परिवर्तन मान्य नहीं होगा ।

(5) परिसर से जनित होने वाले पार्किंग की व्यवस्था परिसर के भीतर ही की जाना एवं करना अनिवार्य होगा ।

(6) संस्था/आपके द्वारा प्रस्तुत अक्स/बटान में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी की होगी । भू स्वामी/आवेदक द्वारा के साथ भूमि विकास अनुबंध प्रस्तुत किया गया है । कृपया उक्त भूमि विकास अनुबंध भूमि स्वामित्व संबंधी परीक्षण की शर्त के तारतम्य में आवश्यक परीक्षण कर इस बाबत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें । इस संबंध में प्रस्तुत अनुबंध/पावर ऑफ अटार्नी/अधिकार पत्र इत्यादि की वैधानिकता का परीक्षण करने के उपरांत ही विकास अनुमति जारी की जाये ।

(7) प्रस्तावित अभिन्यास के आसपास लगी हुई भूमि की सीमाओं पर निर्मित एवं प्रस्तावित अनुमोदित मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित रखी जाये एवं भूखण्डों का समायोजन किया जावे।

(8) इस कार्यालय एवं राजस्व विभाग द्वारा किये गये स्थल पर सीमांकन (बाहरी सीमाओं) दिनांक 5.8.2012 में दर्शित माप एवं स्थिति के आधार पर ही मान्य होगा ।

(9) विभिन्न नागरिक सुविधाओं (सर्विसेस) हेतु इस अभिन्यास में जो जगह प्रस्तावित की गई है उनमें सीवेज टैंक, ओव्हर हेड टैंक, गारबेज डिस्पोजल एवं कालोनी का कचरा इकटठा कर उसका निष्पादन किया जावे ।

(10) मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 67 के प्रावधानों के अनुसार स्थल पर वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जाये । इसके साथ ही मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार 15 वृक्ष प्रति हेक्टर क्षेत्रफल के मान से अतिरिक्त वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य होगा । स्थल पर विद्यमान वृक्षों को यथावत रखना होगा ।

(11) मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम,1956 के अंतर्गत बनाये गये मध्य प्रदेश नगर पालिका पालिका (कालोनाईजरर्स का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्ते)नियम,1998.के नियम 10, 12 व अन्य समस्त नियमों का पालन नगर निगम भोपाल द्वारा सुनिश्चित करने के उपरांत ही विकास कार्य की अनुमति प्रदान की जावे ।

(12) प्रस्तावित अभिन्यास में कमजोर आय वर्ग के लिए मध्य प्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्ते) नियम,1998 के नियम 10(1) के अनुसार मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 19.4.2012 में उल्लेखित प्रावधानानुसार ई. डब्ल्यू. एस. हेतु 7 भूखण्ड एवं एल. आई. जी. हेतु 5 भूखण्ड मानचित्र में प्रावधानित है । इस संबंध में कालोनाईजर नियम 1998 के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक परीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें । इसका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के उपरांत ही नियमानुसार विकास अनुमति प्रदान की जाये ।

(13) अनुमोदित मानचित्र की सत्यापित प्रति मय आदेश के स्थल पर विकास कार्य के दौरान रखना आवश्यक होगा ।

(14) यह अनुज्ञा अहस्तांतरणीय होगी तथा अनुज्ञप्त उपयोग के अतिरिक्त अन्य उपयोग मान्य नहीं होंगे ।

(15) संलग्न मानचित्र में प्रश्नाधीन स्थल की सीमा तक दर्शाये गये मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा । अतः स्थल पर स्थित मार्गों को गेट अथवा बाउण्ड्रीवाल से अवरूद्ध न किया जावे इसे मान्य नहीं किया जावेगा ।

(16) स्थल पर अनुमोदन संबंधी जानकारी एक 1.50 x 1.25 मीटर साईज के बोर्ड पर भी अंकित करना अनिवार्य होगा ।

(17) किसी भी प्रकार का ठोस अपशिष्ट, परिसर के आसपास भूमि पर फेंकना/फैलाना प्रतिबंधित रहेगा ।

(18) संस्था एवं नगर पालिका निगम भोपाल को मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 तथा अन्य समस्त प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा ।

(19) यह अनुमति आवेदक द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत शपथ पत्र में उल्लेखित वर्जन के आधार पर दी जा रही है कि शपथकर्ता इस भूमि का भू-स्वामी अथवा मुख्तार आम जो उसका वैधानिक कर्ताधर्ता है । साथ ही इस अनुमति का उपयोग वैसा ही किया जावेगा जैसा कि अनुमति है व जैसा कि अनुमति की उल्लेखित शर्तों में उल्लेख है ।

(20) प्रश्नाधीन भूमि/भूखण्डों पर जारी की जाने वाली भवन अनुज्ञा की प्रति 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय को भी अनिवार्य रूप से प्रेषित करें ।

(21) जल-मल निकासी की व्यवस्था निर्धारित मापदण्डों के अनुसार की जावे ।

(22) मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 21 के परिप्रेक्ष्य में विकास अनुज्ञा हेतु आवेदन प्रोसेसिंग शुल्क रूपये 5000 तथा अनुज्ञा शुल्क रूपये 70,000 कुल रूपये 75,000/— चालान कमांक—00.37 दिनांक—30.8.2012 तथा चालान कमांक 35 दिनांक 20.11.2012 द्वारा अनुज्ञा शुल्क का भुगतान किया गया वे अंतिम सत्यापन के अध्यधीन है यदि आवेदक द्वारा भुगतान किये गये प्रोसेसिंग/आवेदन शुल्क की गणना में कोई त्रुटि परीलक्षित होती है तो शेष अंतर की राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूलनीय होगी ।

(23) निर्माणकर्ता को यह बाध्यता होगी कि वह समुचित पेयजल व्यवस्था, जल मल निकासी,पार्किंग स्थलों का विकास, हरित क्षेत्रो का विकास एवं वृक्षारोपण इत्यादि विकास कार्यो को सम्पूर्ण करने के पश्चात ही भवन का उपयोग प्रारंभ करें ।

(24) इस अनुज्ञा को भूमि स्वामित्व का दस्तावेज न समझा जावे तथा किसी भी प्रकार की भूमि विवाद होने पर यह अनुमति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी ।

(25) अनुमोदित अभिन्यास में उल्लेखित मानक भोपाल विकास योजना 2005 तथा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुरूप ही रहेंगे ।

(26) मध्य प्रदेश खनिज(अवैध उत्खन्न परिवहन भण्डारण का निवारण) नियम 2006 में हुए संशोधन के नियम का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा ।

(27) स्थल पर विद्यमान विद्युत लाईन के नीचे के विकास/निर्माण कार्य विद्युत लाईन हटने के पश्चात ही मान्य होगें एवं विद्यमान नाले के किनारे से 3.0 मीटर का क्षेत्र खुला रखा जाना होगा ।

(28) मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 33 के प्रावधानों के अनुरूप यह अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष तक की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगी ।

(29) उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर यह अनुज्ञा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 25 के तहत रिवोक की जा सकेगी ।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश जिला भोपाल

पृ.कमांक 1055 /एल.पी.109/29/नग्रानि/जिका/2011

भोपाल,दिनांक 24/11/2012

प्रतिलिपि :—

1. उपमहाप्रबंधक/कार्यपालन यंत्री, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल.
2. वरिष्ठ जिला पंजीयक, जिला भोपाल को सूचनार्थ एवं संबंधित क्षेत्र के उप पंजीयक,भोपाल की ओर कलेक्टर, जिला भोपाल के पत्र के तारतम्य में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु ।
3. अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हूजूर, जिला भोपाल को सूचनार्थ ।
4. खनिज अधिकारी, जिला भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. सर्वेकक्ष, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल ।
6. ऋृषि कंस्ट्रक्शंन द्वारा श्रीमती विनीता भार्गव, निवासी— 9 बी इन्द्रपुरी, भोपाल भूमि स्वामी श्री दयाराम पुत्र श्री जटाल सिंह, कुमारी अनिता श्री रमेश, श्रीमती घीसीबाई पत्नी श्री जटाल सिंह, से प्रश्नाधीन भूमि पर समस्त अनुज्ञाओं की प्रति इस कार्यालय को जारी होने के 15 दिन के भीतर आवश्यक रूप से उपलब्ध करावे तथा समस्त शर्तो का पालन किया जाना सुनिश्चित करें ।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश जिला भोपाल

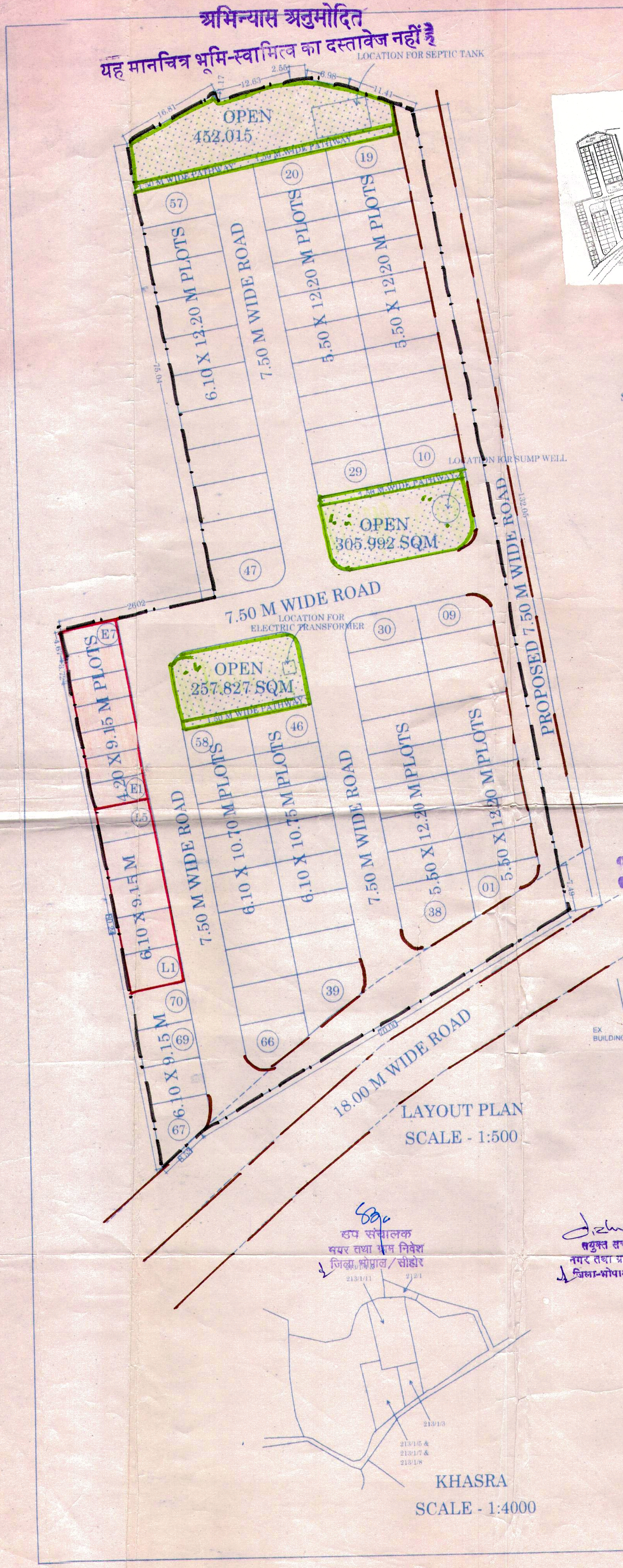

STATEMENT OF LAND AREA

TOTAL AREA (AS PER LAND REVENUE RECORD)
= 0.931 HECT
TOTAL LAND AREA (IN POSSESSION)
= 9066.37 SQM (0.907 HECT)
AREA UNDER ROAD WIDENING
= 357.85 SQM
NET SCHEME AREA = 8708.52 SQM (0.871 HECT)

STATEMENT OF AREA(WITH % AGE)

PLOTTABLE AREA = 5338.48 SQMT. (61.30%)
OPEN WITH SERVICE AREA = 1015.83 SQMT. (11.66%)
ROAD AREA = 2354.21 SQMT. (27.04%)

CALCULATION FOR LIG EWS PLOTS :
TOTALNO. OF PLOTS - 70
15% OF TOTAL NO. OF PLOTS = 10.50 ; SAY 11 NOS.
EWS PLOTS : LIG PLOTS = 3:2
EWS PLOTS 7 NOS - PLOT NO. E1 - E7
LIG PLOTS 5 NOS. - PLOT NO. L1 - L5

STATEMENT OF PLOTS WITH AREAS (IN SQM)

S.NO	PLOT NO.	PLOT TYPE	POT SIZE	NO. OF PLOTS	PLOT AREA	TOTAL AREA
1	1	IRREGULAR		1	65.98	65.98
2	PLOT 02 - 08	REGULAR	50 X 12.20	7	67.10	469.70
3	9	REGULAR	50 X 12.20	1	65.17	65.17
4	PLOT 10 - 29	REGULAR	50 X 12.20	20	67.10	1342.00
5	30	REGULAR	50 X 12.20	1	65.17	65.17
6	PLOT 31 - 37	REGULAR	50 X 12.20	7	67.10	469.70
7	38	IRREGULAR		1	117.18	117.18
8	39	IRREGULAR		1	75.34	75.34
9	PLOT 40 - 46	REGULAR	60 X 10.75	7	65.58	459.06
10	47	REGULAR	60 X 12.20	1	72.51	72.51
11	PLOT 48 - 57	REGULAR	60 X 12.20	10	74.42	744.20
12	PLOT 58 - 65	REGULAR	60 X 10.70	8	65.27	522.14
13	66	IRREGULAR		1	66.90	66.90
14	67	IRREGULAR		1	69.67	69.67
15	68	IRREGULAR		1	57.32	57.32
16	69	IRREGULAR		1	57.00	57.00
17	70	IRREGULAR		1	56.78	56.78
18	L1	IRREGULAR		1	56.65	56.65
19	L2	IRREGULAR		1	56.87	56.87
20	L3	IRREGULAR		1	57.49	57.49
21	L4	IRREGULAR		1	57.63	57.63
22	L5	IRREGULAR		1	57.63	57.63
23	E1	IRREGULAR		1	39.69	39.69
24	E2	IRREGULAR		1	39.66	39.66
25	E3	IRREGULAR		1	39.65	39.65
26	E4	IRREGULAR		1	39.69	39.69
27	E5	IRREGULAR		1	39.94	39.94
28	E6	IRREGULAR		1	39.14	39.14
29	E7	IRREGULAR		1	38.67	38.67
		TOTAL		82		5338.48

यह मानचित्र इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1055 का सहपत्र है।
दिनांक 24/11/2012

LOCATION PLAN
NOT TO SCALE

SCALE 1:500	SCHEDULE OF OWERIP			OWNER	PROJECT
NORTH	S.NO	KH.NO	AREA IN HA		PROPOSED LAYOUT PLAN OF KHASRA NO. 213/1/4 , 213/ 1/11, 212/1, 213 /1 /6 , 213/ 1 /5 , 213/ 1 /7, 213/ 1 /8 AT VILLAGE DAMKHEDA, BHOPAL(M.P.)
	01	213 / 1 / 4 213 / 1 / 11		1. DAYARAM S/O JATAL SINGH	
	02	212 / 1 213 / 1 / 5 213 / 1 / 7 213 / 1 / 8		2. GHISI BAI W/O JATAL SINGH	OWNER: दयाराम, अनिता
	03	213 / 1 / 6		3. ANITA BAI W/O DAYARAM	ARCHITECT
				COLONIZER LICENCE RISHI CONSTRUCTION	
			0.931		

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भ मे ग्राम दामखेड़ा तहसील हूजूर जिला भोपाल स्थित जमीन के खसरा क्रमांक– 213/1/4, 213/1/11, 213/1/6, 213/1/8, 213/1/5, 212/1, 213/1/7 कुल रकबा 0.931 हेक्टेयर जिसका भूमि उपयोग भोपाल विकास योजना 2005 में आवासीय निर्दिष्ट है, पर संदर्भित पत्र के साथ प्राप्त ऋृषि कंस्ट्रक्शंन द्वारा श्रीमती विनीता भार्गव, निवासी– 9 बी इन्द्रपुरी, भोपाल भूमि स्वामी श्री दयाराम पुत्र श्री जटाल सिंह, अनिता पुत्री श्री रमेश, श्रीमती घीसीबाई पत्नी श्री जटाल सिंह, को भूखण्डीय आवासीय विकास हेतु भोपाल विकास योजना, 2005 एवं मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 30 (1) (ख) एवं मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 27(1) प्रावधानों अनुसार विकास की अनुज्ञा के अधीन निम्न शर्तो के आधार पर प्रदान की जा रही है :–

(1) निम्न लिखित अधिनियम/नियम/सक्षम अधिकारियों तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा :–

1. मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता,1959
2. लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग ।
3. भोपाल विकास प्राधिकरण,भोपाल
4. भू अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर ,जिला भोपाल
5. नजूल अधिकारी, राजधानी परियोजना, भोपाल
6. मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल.
7. राष्ट्रीय राजमार्ग/राजकीय राजमार्ग प्राधिकारी (राष्ट्रीय राजमार्ग/राजकीय राजमार्ग से लगी भूमि के विकास की स्थिति में).
8. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी अधिनियम के अन्तर्गत या कोई अनुमति व अनापत्ति की आवश्यकता हो तो वह अनिवार्य रूप से प्राप्त करें ।

(2) **मध्य प्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ–3–7/2009/32 भोपाल, दिनांक 5.1.12.2011 के अनुसार डिफेन्स सेटेलाइट कन्ट्रोल सेन्टर के नियंत्रित क्षेत्र में जीं+1 से अधिक ऊँचाई का निर्माण मान्य नहीं होगा ।**

(3) आवासीय भूखण्डों पर विकास योजना 2005 की सारणी क्रमांक–4–सा–2 के प्रावधान मान्य होंगे ।

(4) इस विकास अनुज्ञा के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु भूमि परिवर्तन मान्य नहीं होगा ।

(5) परिसर से जनित होने वाले पार्किंग की व्यवस्था परिसर के भीतर ही की जाना एवं करना अनिवार्य होगा ।

(6) संस्था/आपके द्वारा प्रस्तुत अक्स/बटान में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी की होगी । भू स्वामी/आवेदक द्वारा के साथ भूमि विकास अनुबंध प्रस्तुत किया गया है । कृपया उक्त भूमि विकास अनूबंध भूमि स्वामित्व संबंधी परीक्षण की शर्त के तारतम्य में आवश्यक परीक्षण कर इस बाबत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें । इस संबंध में प्रस्तुत अनुबंध/पावर ऑफ अटार्नी/अधिकार पत्र इत्यादि की वैधानिकता का परीक्षण करने के उपरांत ही विकास अनुमति जारी की जाये ।

(7) प्रस्तावित अभिन्यास के आसपास लगी हुई भूमि की सीमाओं पर निर्मित एवं प्रस्तावित अनुमोदित मार्गो की निरंतरता सुनिश्चित रखी जाये एवं भूखण्डों का समायोजन किया जावे।

(8) इस कार्यालय एवं राजस्व विभाग द्वारा किये गये स्थल पर सीमांकन (बाहरी सीमाओं) दिनांक 5.8.2012 में दर्शित माप एवं स्थिति के आधार पर ही मान्य होगा ।

(9) विभिन्न नागरिक सुविधाओं (सर्विसेस) हेतु इस अभिन्यास में जो जगह प्रस्तावित की गई है उनमें सीवेज टैंक, ओव्हर हेड टैंक, गारबेज डिस्पोजल एवं कालोनी का कचरा इकटठा कर उसका निष्पादन किया जावे ।

(10) मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 67 के प्रावधानों के अनुसार स्थल पर वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जाये । इसके साथ ही मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार 15 वृक्ष प्रति हेक्टर क्षेत्रफल के मान से अतिरिक्त वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य होगा । स्थल पर विद्यमान वृक्षों को यथावत रखना होगा ।

(11) मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम,1956 के अंतर्गत बनाये गये मध्य प्रदेश नगर पालिका पालिका (कालोनाईजरर्स का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्ते)नियम,1998.के नियम 10, 12 व अन्य समस्त नियमों का पालन नगर निगम भोपाल द्वारा सुनिश्चित करने के उपरांत ही विकास कार्य की अनुमति प्रदान की जावे ।

(12) प्रस्तावित अभिन्यास में कमजोर आय वर्ग के लिए मध्य प्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्ते) नियम,1998 के नियम 10(1) के अनुसार मध्य प्रदेश राजपत्र देनांक 19.4.2012 में उल्लेखित प्रावधानानुसार ई. डब्ल्यू. एस. हेतु 7 भूखण्ड एवं एल. आई. जी. हेतु 5 भूखण्ड मानचित्र में प्रावधानित है । इस संध में कालोनाईजर नियम 1998 के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक परीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें । इसका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के उपरांत ही नियमानुसार विकास अनुमति प्रदान की जाये ।

(13) अनुमोदित मानचित्र की सत्यापित प्रति मय आदेश के स्थल पर विकास कार्य के दौरान रखना आवश्यक होगा ।

(14) यह अनुज्ञा अहस्तांतरणीय होगी तथा अनुज्ञप्तउपयोग के अतिरिक्त अन्य उपयोग मान्य नहीं होंगे ।

(15) संलग्न मानचित्र में प्रश्नाधीन स्थल की सीमा तक दर्शाये गये मार्गो की निरंतरता सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा । अतः स्थल पर स्थित मार्गो को गेट अथवा बाउण्ड्रीवाल से अवरूद्ध न किया जावे इसे मान्य नहीं किया जावेगा ।

(16) स्थल पर अनुमोदन संबंधी जानकारी एक 1.5 X 1.25 मीटर साईज के बोर्ड पर भी अंकित करना अनिवार्य होगा ।

(17) किसी भी प्रकार का ठोस अपशिष्ट, परिसर व आसपास भूमि पर फेंकना/फैलाना प्रतिबंधित रहेगा ।

(18) संस्था एवं नगर पालिका निगम भोपाल कोमध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 तथा अन्य समस्त प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा ।

(19) यह अनुमति आवेदक द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत शपथ पत्र में उल्लेखित वर्जन के आधार पर दी जा रही है कि शपथकर्ता इस भूमि का भू–स्वामी अथवा मुख्तार आम जो उसका वैधानिक कर्ताधर्ता है । साथ ही इस अनुमति का उपयोग वैसा ही किया जावेगा जैसा कि अनुमति है व जैसा कि अनुमति की उल्लेखित शर्तो में उल्लेख है ।

(20) प्रश्नाधीन भूमि/भूखण्डों पर जारी की जाने वाली भवन अनुज्ञा की प्रति 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय को भी अनिवार्य रूप से प्रेषित करें ।

(21) जल–मल निकासी की व्यवस्था निर्धारित मापदण्डों के अनुसार की जावे ।

(22) मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 21 के परिप्रेक्ष्य में विकास अनुज्ञा हेतु आवेदन प्रोसेसिंग शुल्क रूपये 5000 तथा अनुज्ञा शुल्क रूपये 70,000 कुल रूपये 75,000/– चालान क्रमांक-00.37 दिनांक–30.8.2012 तथा चालान क्रमांक 35 दिनांक 20.11.2012 द्वारा अनुज्ञा शुल्क का भुगतान किया गया वे अंतिम सत्यापन के अध्यधीन है यदि आवेदक द्वारा भुगतान किये गये प्रोसेसिंग/आवेदन शुल्क की गणना में कोई त्रुटि परीलक्षित होती है तो शेष अंतर की राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूलनीय होगी ।

(23) निर्माणकर्ता को यह बाध्यता होगी कि वह समुचित पेयजल व्यवस्था, जल मल निकासी,पार्किंग स्थलों का विकास, हरित क्षेत्रो का विकास एवं वृक्षारोपण इत्यादि विकास कार्यो को सम्पूर्ण करने के पश्चात ही भवन का उपयोग प्रारंभ करें ।

(24) इस अनुज्ञा को भूमि स्वामित्व का दस्तावेज न समझा जावे तथा किसी भी प्रकार की भूमि विवाद होने पर यह अनुमति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी

(25) अनुमोदित अभिन्यास में उल्लेखित मानक भोपाल विकास योजना 2005 तथा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुरूप ही रहेंगे ।

(26) मध्य प्रदेश खनिज(अवैध उत्खन्न परिवहन भण्डारण का निवारण) नियम 2006 में हुए संशोधन के नियम का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा ।

(27) स्थल पर विद्यमान विद्युत लाईन के नीचे के विकास/निर्माण कार्य विद्युत लाईन हटने के पश्चात ही मान्य होगें एवं विद्यमान नाले के किनारे से 3.0 मीटर का क्षेत्र खुला रखा जाना होगा ।

(28) मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम,1973 की धारा 33 के प्रावधानों के अनुरूप यह अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष तक की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगी ।

(29) उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर यह अनुज्ञा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 25 के तहत रिवोक की जा सकेगी ।

C:\Documents and Settings\admin1\My Documnts\109 LAYOUT 2012 Bhukhandiya - plotted Damkheda con.doc